न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 63/18(प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री शम्भुसिंह पिता मानसिंह राव निवासी मेडता तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री केशरसिंह पिता मानसिंह राव निवासी मेडता तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का मेडता, तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः– 24.10.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता में आराजी नम्बर 769 रकबा 5 बिस्वा। उक्त आराजी में वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार मुझ प्रार्थी का 7/36 वां हिस्सा व विपक्षी सं. 1 का 11/36 वां हिस्सा दर्ज है तथा इसी आराजीयात की सह खातेदार स्व. सन्तोषी बाई जिनका दिनांक 19.04.2015 को निधन हो चुका हैं। उक्त आराजीयात की सह खातेदार स्व. सन्तोषीबाई अपनी वृद्वावस्था में मुझ प्रार्थी के साथ ही निवासरत थी क्योंकि स्व. सन्तोषीबाई के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी तथा उनकी वृद्वावस्था में मुझ प्रार्थी ने ही स्व. सन्तोषी बाई की सेवा चाकरी की जिससे खुश होकर स्व. सन्तोषीबाई ने अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पति की एक वसीयत दिनांक 19.02.2015 को मुझ प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की तथा उनके निधन के पश्चात् समस्त सामाजिक रितिरिवाज व कार्यक्रमों का निर्वहन मुझ प्रार्थी ने ही किया तथा उक्त वसीयत की पालना हेतु मुझ प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार साहब, मावली के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जो तहसील न्यायालय में विचाराधीन है तथा मैं प्रार्थी स्व. सन्तोषीबाई के हक व हिस्से की जमीन पर वर्तमान में कब्जे काश्त हों उसका उपयोग उपभोग कर रहा हुं।
2. उक्त आराजीयात में मुझ प्रार्थी का विरासत अनुसार 7/36 वां राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा स्व. सन्तोषीबाई का भी उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है जो भी मुझ प्रार्थी आधिपत्य में है परन्तु विपक्षी सं. 1 उक्त आराजी में मुझ प्रार्थी की सहमति बिना अपने हिस्से की अधिक जमीन पर पक्का निर्माण कार्य कर रहा है जो अवैद्य है क्योंकि उक्त आराजी में मुझ प्रार्थी के हिस्से के अलावा स्व. सन्तोषीबाई का 1/2 हिस्सा भी मुझ प्रार्थी के कब्जे में है व विपक्षी सं. 1 अपनी सीमा से अधिक जमीन पर पक्का निर्माण कार्य कर रहा है जो अवैद्य हैं। उक्त आराजीयात में विपक्षी सं. 1 जबरन ताकत के बल पर मुझ प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से मुझ प्रार्थी के हक एवं हिस्से की जमीन पर पक्का निर्माण करते हुए उक्त आराजी जमीन पर जेसीबी मशीन से पानी का होद

खुदवा दिया है तथा रेत, पत्थर, सीमेन्ट डाल कर उक्त जमीन पर अपनी सीमा से अधिक जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण करने पर आमादा है तथा मुझ प्रार्थी को उक्त आराजी जमीन का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में बाधा पहुंचा रहा है जिसका विपक्षी सं. 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं हैं।

3. मुझ प्रार्थी उक्त आराजीयात का खातेदार कब्जेदार हुं तथा विपक्षी सं. 1 को मुझ प्रार्थी की जमीन में दखलन्दाजी करने का, जबरन कब्जा करने का एवं ताकत के बल पर नया पक्का निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं।
4. मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है, सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है चुंकि मैं प्रार्थी उक्त आराजी जमीन का खातेदार कब्जेदार है यदि विपक्षी सं. 1 को प्रार्थी के हिस्से की जमीन में दखलन्दाजी करने से एवं जबरन ताकत के बल पर नया पक्का निर्माण करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को होने वाली क्षति का आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा तथा विपक्षी सं. 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से उन्हे किसी तरह की क्षति नहीं होगी।
5. प्रार्थना पत्र कारण तारीख 08.05.2018 को पैदा हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर जेसीबी मशीन से पानी का होद खोद डाला व नया पक्का निर्माण करने पर आमादा हुआ जब से प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वो मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विपक्षीगण रहन बेह बक्षीस नहीं करे तथा इसमें कोई निर्माण नहीं करे, तथा न प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल करे तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे उसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं या अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से नहीं करने न करावें, विपक्षीगण मौके एवं रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी सं. 2, 3 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी सं. के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी दोनो ही खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ हैं जिसकी आड में विपक्षी सं. 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। प्रकरण में सहखातेदार सन्तोषबाई द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयत भी लिखी है जिसका प्रकरण तहसीलदार मावली के यहां विचाराधीन होना बताया हैं। प्रकरण में प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार हैं। यदि भूमि पर विपक्षी अपने हिस्से से अधिक निर्माण कर प्रार्थी के हिस्से में दखलंदाजी कर रहा है, इसलिए प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 दोनों ही खातेदार हैं। विपक्षी अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कर प्रार्थी के खातेदारी में दखलंदाजी कर रहा हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 दोनो ही सहखातेदार हैं। उक्त भूमि में सन्तोषबाई पत्नी भानसिंह 1/2 के रूप में खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सन्तोषबाई द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की हैं। जिसकी पालना हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय मावली में विचाराधीन हैं। सन्तोषबाई की मृत्यु हो चुकी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित होकर सामलाती हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में आराजी नम्बर 769 रकबा 5 बिस्वा पर विपक्षी सं. 1 जबरन हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य कर रहा हैं जबकि उक्त आराजी में विभाजन नहीं होने से प्रार्थी व सन्तोषबाई बराबर हिस्से के खातेदार हैं। सन्तोषबाई के विरासत का मामला तहसील न्यायालय मावली में वसीयत के आधार पर विचाराधीन होना बताया हैं। उक्त वसीयत के प्रकरण के निरस्तारण के पश्चात् ही खातेदारों के हिस्सें को स्पष्ट किया जा सकता हैं। परन्तु वर्तमान में विपक्षी सं. 1 जबरन हिस्से से अधिक की भूमि पर निर्माण कार्य कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि में भी दखंलदाजी कर रहा हैं, जिसका विपक्षी सं. 1 को कोई हक अधिकार नहीं हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कर लेता है तो इससे प्रार्थी के भी हक अधिकार प्रभावित होगे। चूंकि उक्त भूमि में प्रार्थी भी अपने हिस्से अनुसार खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये है। यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है एवं विपक्षी हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कर लेता है तो प्रार्थीं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं प्रकरण में अनावश्यक विवाद बढेगा। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 भी खातेदार है इसलिए प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड के यथास्थिति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं, क्यूंकि इससे विपक्षी खातेदार के अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, केवल प्रार्थी के मौके की यथास्थिति बाबत प्रार्थना को ही स्वीकार किया जा सकता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता में आराजी नम्बर 769 रकबा 5 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात् में प्रार्थी को उसके हिस्सेनुसार शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, उक्त कार्य न स्वंय करे, एवं न ही अपने नौकर चाकर एंजेन्ट आदि के मार्फत करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.14 17:51:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: